

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)

पाँचवाँ तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पिटल रोड,

शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०सं०- PMAA/PRN Ranipurchak Milki /G+4/133//2018 - 37 पटना, दिनांक- 19-03-2019
Chaukkala

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

Sri Sanjeev kumar,
S/O Sri Rajeshwar, Partner Abode Infrastructure,
At- Raghunath Path, Bailey Road.

विषय:- प्लान केस संख्या- PMAA/PRN Ranipurchak Milki /G+4/133//2018 की स्वीकृति के संबंध में।
Chaukkala

महाशय,

आपके आवेदन सं०:- PMAA/PRN Ranipurchak Milki /G+4/133//2018 दिनांक 03.03.2019 के
Chaukkala

संदर्भ में Sri Sanjeev kumar, S/O Sri Rajeshwar, Partner Abode Infrastructure, At- Raghunath Path, Bailey Road, P.S Danapur, बिहार पटना। (बिहार) पटना के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम के मौजा- रानीपुर चक मिल्की, थाना- पटना सिटी, थाना सं०- 20, सर्वे प्लॉट संख्या- 263,(P) 264(P) खाता न०- 11, 28, G+4 आवासीय भवन के स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 501.08m² वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपविधि 2014 के आलोक में प्रावधान करना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

5. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
6. आवेदक के भुखंड के सामने पटना मास्टर प्लान 2031 के अनुसार सड़क की चौड़ाई 30.50मी० निर्धारित है। जिसके लिए आवेदक को 10.34 मी० से 10.33 चौड़ी पट्टी नक्शा में दर्शाए गये भाग को छोड़ना होगा।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी की अधिकतर हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
11. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल निकास जल निकास सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक में विकास करना होगा।
12. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
13. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
14. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं पटना मास्टर प्लान 2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न करना होगा।

शिवराम
19.03.19
सहायक अभियंता
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

विश्वासभाजन,
गुण्य हाजा
प्रभारी निदेशक, 19-3-19
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार, पटना।